भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या †2721

दिनांक 09.07.2019/18 आषाढ़,1941 (शक) को उत्तर के लिए

तमिलनाडु को आपदा राहत

†2721. डॉ. एम. के. विष्णु प्रसादः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान प्राकृतिक आपदाओं एवं महाचक्रवातों से निपटने के लिए तमिलनाडु द्वारा कितनी धनराशि की मांग की गई और कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(ख) क्या सरकार तमिलनाडु के लिए अनुदानों को बढ़ाने के अनुरोध पर विचार करेगी;

(ग) क्या सरकार की योजना गत दो वर्षों के दौरान महाचक्रवातों के कारण क्षत्रिग्रस्त संपत्तियों को पुनर्निर्मित करने ओर बर्बाद हुए फसलों के लिए मुआवजा देने हेतु और अधिक वित्तीय सहायता देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) से (घ): आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। राज्य के प्रयासों में सहायता प्रदान करने के लिए, भारत सरकार आपदा की स्थिति में बचाव और राहत प्रयासों में सहायता प्रदान करने के लिए उन्हें संभारतंत्रीय (लॉजिस्टिक्स) और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। भारत सरकार "तत्काल राहत" के लिए प्रभावित राज्यों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) एवं राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से वित्तीय

सहायता प्रदान करती है। पुनर्निर्माण और प्रशमन संबंधी उपाय राज्य सरकारों द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों/राज्य स्कीमों के माध्यम से किए जाने होते हैं।

विगत तीन वर्षों के दौरान भारत के तटीय क्षेत्रों में आया कोई भी चक्रवात "सुपर चक्रवात" के स्तर का नहीं था। गत तीन वर्षों के दौरान प्राकृतिक आपदाओं के लिए तमिलनाडु राज्य को एसडीआरएफ और एनडीआरएफ से आवंटित और जारी निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

(रू. करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	**एसडीआरएफ के तहत**		**एनडीआरएफ के तहत जारी राशि**	**कुल वित्तीय सहायता**
	आवंटित राशि	**जारी केन्द्रीय अंश**		
2016-17	713	534.75	1813.66	2348.41
2017-18	748	561.00	351.81	912.81
2018-19	786	707.40	900.31	1607.71
कुल	2247	1803.15	3065.78	4868.93

एसडीआरएफ के तहत राज्यों को आवंटन क्रमिक वित्त आयोगों (समय-समय पर संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित) की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। अवार्ड अवधि 2015-16 से 2019-20 के लिए वर्तमान आवंटन चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया गया है और तमिलनाडु सहित सभी राज्यों का वार्षिक आवंटन प्रतिवर्ष 5% बढ़ जाता है।

******